न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 79/2020

रामगोपाल उर्फ गोपालदास पुत्र मांगीदास उर्फ मांगीलाल जाति बैरागी निवासी मूंडली हाल निवास कुन्दनपुर तह0 सांगोद जिला कोटां

.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री दयाकृष्ण धाकड

दायरा दिनांक: 03.09.2020

निर्णय दिनांक : 18.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 109 खसरा नं0 813 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम रायथल तहसील मांगरोल में स्थित है। जो जमाबंदी सम्वत 2076 में हिस्सा 1/4 वादी के नाम दर्ज है। किन्तु जमाबंदी में सहवन से वादी का नाम रामगोपाल के स्थान पर गोपालदास उसके पिता का नाम मांगीलाल के स्थान पर मांगीदास दर्ज कर दिया है। जबकि वादी का वास्तविक नाम रामगोपाल पुत्र मांगीलाल है। वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में रामगोपाल पुत्र मांगीलाल ही दर्ज हा रहा है। इसलिए वादी अपना नाम राजस्व रेकार्ड में गोपालदास के स्थान पर रामगोपाल व उसके पिता का नाम मांगीदास के स्थान पर मांगीलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम रामगोपाल के स्थान पर गोपालदास उसके पिता का नाम मांगीलाल के स्थान पर मांगीदास दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 03.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2021/917 दिनांक 18.10.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम रायथल में स्थित आराजी खसरा नं0 813 रकबा 0.76 है0 भूमि में वादी का नाम गोपालदास पुत्र मांगीदास हिस्सा 1/4 जाति बैरागी सा0 मूण्डली दर्ज है। मुताबिक संलग्न दस्तावेजात व ग्राम वासियो के अनुसार गोपालदास पुत्र मांगीदास को रामगोपाल पुत्री मांगीलाल के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। दोनो नाम

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

एक ही व्यक्ति के है। अतः राजस्व रेकार्ड में गोपालदास पुत्र मांगीदास जाति बैरागी के स्थान पर रामगोपाल उर्फ गोपालदास पुत्र मांगीदास उर्फ मांगीलाल किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर ग्राम रायथल की आराजी खाता संख्या 109 खसरा नं0 813 रकबा 0.76 है0 की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम गोपालदास पुत्र मांगीदास जाति बैरागी के स्थान पर रामगोपाल उर्फ गोपालदास पुत्र मांगीदास उर्फ मांगीलाल जाति बैरागी दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि वादी व वादी के पिता के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादनी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प रायथल मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner